झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना 186

राँची, दिनांक 8/1/14

संख्या–7ए/संघ–12–03/2009 का॰–   / कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 742 दिनांक–15.02.2007 द्वारा 'झारखण्ड वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006' निर्गत है। उक्त नियमावली की कंडिका–3 में वाहन चालक हेतु निम्नांकित पद निर्धारित हैः–

(क) i रू० 3050–4590/– वाहन चालक (साधारण कोटि),
ii. रू० 4000–6000/– वाहन चालक (कोटि–II),
iii. रू० 4500–7000/– वाहन चालक (कोटि–I),

(ख) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जायेगी।:–

i.	साधारण कोटि (3050–4590/–)	55 प्रतिशत
ii.	कोटि–II (4000–6000/–)	25 प्रतिशत
iii.	कोटि–I (4500–7000/–)	20 प्रतिशत

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–660 दिनांक–28.02.2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार की सेवाशर्त्तों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मियों की सेवाशर्त्तें निर्धारित की जानी है। विदित है कि केन्द्र सरकार में उपर्युक्त निर्धारित पदसोपान के अतिरिक्त वाहन चालक (विशेष कोटि) का भी एक पदसोपान वेतनमान 5000–8000, पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे 4200 रूपये शामिल है।

3. उक्त के आलोक में –

(क) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 742 दिनांक–15.02.2007 द्वारा 'झारखण्ड वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2006 की कंडिका–3(क) में निम्न प्रकार एक पदसोपान परिवर्द्धन किया जाता हैः–

iv. 5000–8000/–(9300–34800, ग्रेड पे 4200) – वाहन चालक (विशेष कोटि)

(ख) तदनुसार कंडिका–3(ख) में अंकित विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जाती हैः–

i.	साधारण कोटि (3050–4590/–)	50 प्रतिशत
ii.	कोटि–II (4000–6000/–)	25 प्रतिशत
iii.	कोटि–I (4500–7000/–)	20 प्रतिशत
iv.	वाहन चालक (विशेष कोटि) 5000–8000/–(9300–34800, ग्रेड पे 4200) –	05 प्रतिशत

4. उक्त परिवर्द्धन एवं संशोधन के फलस्वरूप वर्त्तमान नियमावली की कंडिका–9(1) का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे विलोपित किया जाता है।

5. निम्न पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कालावधि के निर्धारण के सं में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प इस सम्वर्ग पर लागू होंगे। अतः नियमावली की कंडिका–9(2)(क) एवं (ख) विलोपित किया जाता है।

6. अधिसूचना संख्या–742 दिनांक–15.02.2007 के शेष अंश यथावत समझे जायेंगे।

यह तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/ 7.1.14

(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/संघ–12–03/2009 का॰–186 /राँची, दिनांकः– 8/1/2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/ 7.1.14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7ए/संघ–12–03/2009 का॰–186 /राँची, दिनांकः– 8/1/2014

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँचीं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ 7.1.14

सरकार के प्रधान सचिव।